केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.
******

दिनांक: 25.10.2017

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/293
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00285
CICOM/R/2017/00883

अपीलकर्ता : श्री नर्वदेश्वर प्रसाद सिन्हा,
57, नन्दनपुरी, खाजपुरा,
पटना- 800014.

निर्णय की तारीख : 25.10.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	12.07.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	14.08.2017, 29.08.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री कृष्ण अवतार तलवार, श्री पियुष अग्रवाल (रजिस्ट्रार)
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	02.10.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	FAA/399/13.10.2017 (170604/10.10.2017)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 12.07.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से 7 बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी । बिंदु सं. 1, 2 एवं 3 से संबंधित वांछित सूचना प्रदान करने हेतु केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को दिनांक 19.07.2017 को आवेदन अग्रसारित कर दिया था । बिंदु सं 4 से संबंधित सूचना श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा एवं बिंदु 5, 6 एवं 7 से संबंधित सूचना श्री पियुष अग्रवाल, रजिस्ट्रार द्वारा प्रदान किया गया । श्री पियुष अग्रवाल, रजिस्ट्रार द्वारा प्रदान की गई सूचना से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है तथा उल्लेख किया है कि श्री अग्रवाल के पत्र में न तो सूचना है और न ही कोई प्रतिलिपि संलग्न की गई है ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदन के बिंदु सं. 5, 6 एवं 7 के संदर्भ में श्री पियुष अग्रवाल, रजिस्ट्रार, केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । अपीलकर्ता की शिकायत कि श्री अग्रवाल के पत्र के साथ कोई प्रतिलिपि संलग्न नहीं है, के संदर्भ में श्री पियुष अग्रवाल रजिस्ट्रार से प्राप्त पत्र प्रतिलिपि सहित इस आदेश के साथ अपीलकर्ता के सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

संलग्नक – यथोपरि ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :
1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

C. I. C./के० सू० आ०
30 OCT 2017
D. No.........
Initials.........